फा.सं. वी-17020/72/2015-आईएनआई-II
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
आईएनआई-II अनुभाग
***

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक   नवम्बर, 2015

<u>**कार्यालय ज्ञापन**</u>

विषय: उप निदेशक (प्रशासन), पीपीआईएमईआर, चंडीगढ़ का पद भरने के संबंध में।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन पीपीआईएमईआर, चंडीगढ़ एक प्रमुख स्वायत्तशासी संस्थान है जिसे उच्च गुणवत्ता युक्त रोगी परिचर्या तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने और मूलभूत समुदाय आधारित अनुसंधान करने हेतु अधिदेश प्राप्त है। इस संस्थान में उप निदेशक (प्रशासन) का एक पद है जो दिनांक 07.12.2015 को खाली हो जाएगा।

2. पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में उपनिदेशक (प्रशासन) का पद 37400-67000/-रूपए (पीबी-4) और 8700/-रूपए ग्रेड वेतन प्रतिमाह के वेतनमान में गैर केन्द्रीय स्टॉफिंग स्कीम संबंधी पद है। इस पद में संस्थान के निदेशक (पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़) से परामर्श करके संस्थान के प्रशासनिक एवम् नीतिगत मामले की देखभाल करना शामिल है।

3. इस पद को केन्द्र सरकार के जरिए प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना है। भर्ती नियमों के अनुसार इसका कार्यकाल विनिर्दिष्ट नहीं है। तथापि, विगत की परिपाटी के अनुसार पदधारी चार वर्षों की अधिकतम अवधि तक इस पद पर बने रह सकता है। इस पद के पदधारी को आबंटन हेतु उपयुक्त आवास प्रदान करना भी निर्धारित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्मिक और लोक शिकायत विभाग से पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में इस पद को स्थाई रूप से आमेलित(Aborspiol) करने के लिए 31.03.2016 तक छूट प्राप्त कर ली है।

4. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रतिनियुक्ति संबंधी अनुदेशों के संदर्भ में ऐसे उपयुक्त अधिकारियों के नाम अग्रेषित करने का अनुरोध किया जाता है। जो इस पद हेतु विचार किए जाने के लिए इच्छुक हों, और इसके साथ निम्नलिखित भी संलग्न करें:

(i) विगत तीन वर्षों के संबंध में विधिवत सत्यापित एसीआर/एपीएआर।
(ii) सर्तकता प्रमाणपत्र
(iii) संबद्ध/राज्य सरकार की कैडर स्वीकृति/सहमति

5. सभी अनुशंसाएं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन के अवर सचिव (आईएनआई-II प्रभाग) के पास दिनांक 06.11.2015 अथवा इससे पहले पहुँच जानी चाहिएं।

(अली आर. रिजवी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन : 23062857

सेवा में,

1. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिव।
2. भारत सरकार की समूह 'क' कैडर नियंत्रक प्राधिकारी।

5.